(15)

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू-रा/2017/1868

<u>न्यायालय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0</u>

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी

विपिन भार्गव पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल भार्गव, निवासी दुबहा टांका तहसील चीनोर जिला ग्वालियर

—— आवेदक

श्री आर0 पी0 पालीवाल अभि0 द्वारा आज दि. 23-6-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

अशोक गौतम पुत्र श्री बाबूलाल गौतम, निवासी दुबहा टांका तहसील चीनोर जिला ग्वालियर

—— अनावेदक

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 19—6—2017 आयुक्त ग्वालियर जो कि प्रकरण कमांक 254/15—16 अपील मे पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/1868

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 19-6-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि प्रकरण में मूल विवाद मंदिर के पुजारी के सम्बन्ध में है । स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत नहीं है । संहिता की धारा 50 में पुजारी की नियुक्ति से सम्बन्धित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है । इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 100 वासुदेव विरूद्ध रामचन्द्र तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :- "धारा 50-व्याप्ति-राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व मामले में किसी अधिनियमित के अधीन पारित आदेश-धारा 50 के अधीन ऐसे आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण चलाने योग्य है-किन्तु राजस्व अधिकारी का आदेश पुजारी की नियुक्ति से सम्बन्धित-ऐसे आदेश के विरूद्ध धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण नहीं होगा ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	